कार्यालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर

क्रमांक पं.17( ) न्याय/कोरोना/2020/~~4352~~ 4442 दिनांक 11/09/2020

:: आदेश अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता:

मुझे यह अवगत कराया गया है कि जिला सवाईमाधोपुर के **उपखण्ड क्षेत्र सवाई माधोपुर नगर परिषद/ग्रामीण क्षेत्र** में स्थित सिविल लाइन, बंधा,इन्द्रा कोलोनी, केशव नगर,हाउसिंह बोर्ड, सरकारी क्वाटर जी व पी0डब्ल्यू0डी0 कार्यालय सवाई माधोपुर **में व्यक्ति को कोरोना वायरस (कोविड–19) से संकमित (पॉजिटिव) पायें जाने से उपखण्ड क्षेत्र सवाई माधोपुर** में कोरोना वायरस के अत्यधिक संकमण की सम्भावना होकर नागरिको के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शान्ति को खतरा उत्पन्न हो सकता है।

उक्त परिस्थितियों में मेरा समाधान हो गया है एवं मै पूर्णतया संतुष्ट हूँ कि ऐसी परिस्थिति में प्रथम दृष्टया सवाई माधोपुर जिले में **उपखण्ड क्षेत्र सवाई माधोपुर** में नगर परिषद क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सिविल लाइन, बंधा,इन्द्रा कोलोनी, केशव नगर,हाउसिंह बोर्ड, सरकारी क्वाटर जी व पी0डब्ल्यू0डी0 कार्यालय सवाई माधोपुर में निवासरत नागरिको के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोकप्रशांति बनाये रखने की दृष्टि से **दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 की तहत जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा** जारी की जावे।

अतः मैं कपिल शर्मा उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, सवाईमाधोपुर दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जारी श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेश कमांक 2107 दिनांक 18.03.2020 व संशोधित आदेश कमांक 2204 दिनांक 22.03.2020 व 2447 दिनांक 31.03.2020 व 4397 दिनांक 01.06.2020 तथा 7609 दिनांक 01.07.2020 की निरन्तरता में एवं अनलॉक–2 के आदेश कमांक 7585 दिनांक 01.07.2020 में अंकित बिन्दू संख्या "**A**" के कम में नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने के दृष्टि से दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत **उपखण्ड क्षेत्र सवाई माधोपुर** में स्थित **तारासिंह,रामखिलाडी,अशोक,रिंकू,गणेश,महावीर व दिनेश** के मकान को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उपखण्ड क्षेत्र सवाई माधोपुर में स्थित निम्न परिक्षेत्र–

सिविल लाइन, सवाई माधोपुर

1. **श्री तारासिंह गुर्जर उम्र 29 वर्ष म.न. 5 निवासी सिविल लाइन स.मा. मो.न. 7976479084** मरीज के मकान को केन्द्र बिन्दु मानते हुए मरीज के मकान के पूर्वी पश्चिमी कोने से हम्मीर सर्किल के पूर्वी पश्चिमी कोने तक

बंधा,सवाई माधोपुर

2. **श्री रामखिलाडी मीना आयु 40 वर्ष निवासी** बंधा सवाई माधोपुर,**मो. न. 9799386395** मरीज के मकान को केन्द्र बिन्दु मानते हुये मरीज के मकान के पश्चिमी कोने से उत्तरी कोने तक

इन्द्रा कोलोनी ,सवाई माधोपुर

3. **श्री अशोक हिरानी उम्र 45 वर्ष निवासी इन्द्रा कोलोनी सवाई माधोपुर मो. न. 6377704352** मरीज के मकान को केन्द्र बिन्दु मानते हुये प्लाट न0 84 के पूर्वी कोने से पश्चिमी कोने से लगातार प्लॉट न0 88 के पूर्वी पश्चिमी कोने तक

केशव नगर , सवाई माधोपुर

4. **श्रीमती रिंकू जैन पत्नि श्री मयंक जैन उम्र 32 वर्ष निवासी केशव नगर सवाई माधोपुर मो. न. 7014395650** मरीज के मकान को केन्द्र बिन्दु मानते हुए मरीज के मकान के पूर्वी पश्चिमी कोने से पंचराणा मन्दिर के पूर्वी पश्चिमी कोने तक

हाउसिंह बोर्ड, सवाई माधोपुर

5. **श्री गणेश पुत्र प्रहलाद सैनी उम्र 27 वर्ष निवासी हाउसिंह बोर्ड सवाई सवाई माधोपुर . मो. न. 9602869911** मरीज के मकान को केन्द्र बिन्दु मानते हुये मरीज के खेत के दक्षिणी सीमा से सैनी छात्रावास के उत्तरी दक्षिणी सीमा तक

सरकारी जी क्वाटर, सवाई माधोपुर

6. **श्री महावीर पुत्र मदन लाल शर्मा उम्र 45 वर्ष निवासी सरकारी जी क्वाटर न0 3 ठींगला रोड सवाई माधोपुर. मो. न. 8890887241** मरीज के मकान को केन्द्र बिन्दु मानते हुए मरीज के क्वाटर न0 3 के उत्तरी दक्षिणी कोने पटवार घर ठींगला के उत्तरी दक्षिणी कोने तक

पी0डब्ल्यू0डी0 कार्यालय ,सवाई माधोपुर

7. **श्री दिनेश पुत्र मदन लाल उम्र 25 वर्ष निवासी** पी0डब्ल्यू0डी0 कार्यालय कोलोनी,सवाई माधोपुर **मो.न. 9636612282** मरीज के मकान को केन्द्र बिन्दु मानते हुए रेस्ट हाउस के दोनों छोर के उत्तरी दक्षिणी कोनों के दोनों तरफ तक को **(Containment Zone)** घोषित कर उक्त क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से **जीरो मोबिलिटी क्षेत्र (CURFEW)** निषेधाज्ञा लागू करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि–

Scanned by CamScanner

1. कोरोना वायरस के संक्रमण की गम्भीरता को देखते हुए क्षेत्र में निवासरत समस्त व्यक्ति अपने आवास से बाहर आगमन नही करेंगे। इस क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर (लॉकिंग ऐरिया–जनसाधारण की सख्ती से आगमन–निर्गमन) प्रतिबंधित किया जाता है।
2. उपरोक्त क्षेत्र में अवस्थित चिकित्सकीय सेवाओं को छोडकर अन्य व्यवसायिक एवं वाणिज्यक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे तथा समस्त सामूहिक गतिविधियां एवं रैली, जुलूस, सभा एवं समारोह इत्यादि पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे।
3. उपरोक्त क्षेत्र में अत्यन्त आवश्यक सेवाओं (किराना, खाद्य सामग्री, दवाईयां, दूध, सब्जी, गैस की दुकाने, जनरल स्टोर एवं पेट्रोल पम्प) के संचालन के लिये चिन्हित होम डिलीवरी के पास मान्य होगें।
4. उपरोक्त क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति यथा पानी, बिजली आदि की आपूर्ति नियमित रूप से संचालित रहेगी तथा दैनिक खाद्य वस्तुओ यथा फल–सब्जी, किराना, दवाईयों की आपूर्ति संबंधित विभाग द्वारा होम–डिलीवरी की जावेगी।
5. उक्त वर्णित जीरो मोबीलिटी क्षेत्र में पूर्व जारी समस्त प्रकार की स्वीकृतिया/अनुमति–पत्र तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते है।
6. उक्त क्षेत्र में आवश्यक सेवाओ के लिये कर्फ्यू–पास इस कार्यालय द्वारा जारी किया जावेगा। समस्त प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।
7. आवश्यक व्यवस्थाएं बनाये रखने हेतु आवश्यकतानुसार राजकीय अधिकारी/ कर्मचारियों के आवगमन के साधन उपयोग के लिये जाने हेतु अधिकृत होंगें साथ ही उपखण्ड क्षेत्र की व्यवस्था से जुडे वाहन, अग्निशमन वाहन, जलदाय, विद्युत, पुलिस एवं प्रशासन के वाहन, चिकित्सकीय सेवाओं से संबंधित वाहन, रसद विभाग, नगर परिषद्, विकास अधिकारी, द्वारा एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित विशेष अनुमति पत्र प्राप्त वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे
8. उक्त क्षेत्र में पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित एन्ट्री पोइन्ट्स पर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जाएगी, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति उक्त क्षेत्र में प्रवेश नही करें और किसी भी व्यक्ति का प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर निकलना पूर्णतया निषेध रहेगा।
9. यह प्रतिबन्ध बीमार व्यक्तियों एवं चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों पर लागू नही होगा, परन्तु उन्हे चिकित्सकीय लाभ हेतु निकटवर्ती चिकित्सा केन्द्र से प्राथमिक उपचार लिया जावेगा।
10. उक्त क्षेत्र के समस्त धार्मिक स्थलों मे आमजन, दर्शनार्थियों एवं श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा, किन्तु प्रबन्धन द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट से पास प्राप्त धार्मिक स्थल की साफ–सफाई एवं रख–रखाव हेतु अधिकतम 2 व्यक्ति को उक्त कार्य सम्पादित करने के लिए न्यूनतम अवधि हेतु जा सकते है, जिसकी सूचना संबंधित पुलिस थाना के स्तर पर संधारित होगी।
11. कोई भी व्यक्ति या संस्था नोवल कोरोना वाइरस के संक्रमण के संबंध में दुष्प्रचार व तथ्यहीन समाचारो यथा Face Book, Twitter, Whats App, Youtube अथवा अन्य किसी भी इलेक्ट्रोनिक माध्यम से नही करेगा। इसके उल्लघंन पर आई.टी.एक्ट के अन्तर्गत भी विधिक कार्यवाही की जावेगी।
12. समस्त प्रकार के निजी भारी एवं हल्के मोटर व्हीकल्स का आवागमन भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। खाद्य सामग्री, दवाईयां, सब्जियों, दूध, गैस इत्यादि अतिआवश्यक सेवाओं के परिवहन हेतु लोडिंग वाहन उपखण्ड मजिस्ट्रेट से पास प्राप्त कर कर्फ्यू क्षेत्र में आ–जा सकते है।
13. उपरोक्त क्षेत्र में अतिआवश्यक सेवाओं (पानी, बिजली, किराना, खाद्य सामग्री, दवाईयां, दूध, फल–सब्जी, गैस की दुकाने, जनरल स्टोर एवं पेट्रोल पम्प) की आपूर्ति रसद विभाग, जलदाय विभाग, कृषि विभाग, डेयरी विभाग, नगर परिषद्, विकास अधिकारी, की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
14. मै उक्त क्षेत्र में सभी निवासियों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नही करने के निर्देश देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 के सु–संगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जावेगा।
15. उक्त जारी निषेधाज्ञा की पूर्ण एवं सख्ती से पालना का दायित्व जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर एवं संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट का होगा।

चूंकि विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिशः तामील करवाया जाना संभव नही है। अतः एक पक्षीय आदेश जारी किया जाकर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु सवाईमाधोपुर जिले के

सम्पूर्ण संदर्भित क्षेत्रों में मुख्य–मुख्य स्थानों पर इस आदेश को चस्पा कर ध्वनि प्रसारण यंत्रों एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार–प्रसार कर नागरिकों को सूचित किया जावें।

यह आदेश आज दिनांक 11.09.2020 को रात्रि 07.00 बजे से दिनांक 24.09.2020 तक प्रभावशील रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 11.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी किया गया है।

(कपिल शर्मा)
उप जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

क्रमांक पं.17( ) न्याय/कोरोना/2020/ 11173 - 11180

दिनांक 11/09/2020

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, गृह एवं न्याय विभाग राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
3. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, पीएचईडी विभाग जयपुर एवं संभाग प्रभारी भरतपुर
4. श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय, भरतपुर।
5. श्रीमान जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर।
6. महानिरीक्षक पुलिस रैंज भरतपुर।
7. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
8. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक.. राजस्थान।
9. अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर/गंगापुर सिटी।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर।
11. पुलिस उपाधीक्षक सवाईमाधोपुर को संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा उक्त आदेश की सख्ती से पालना कराने हेतु।
12. प्रभारी अधिकारी वाररूम/कन्ट्रोल रूम कलेक्ट्रेट सवाईमाधोपुर।
13. तहसीलदार सवाई माधोपुर।
14. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाईमाधोपुर/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सवाई माधोपुर।
15. आयुक्त नगर परिषद सवाई माधोपुर को दी जाकर लेख है कि उक्त 0 मोबिलिटी क्षेत्र को बेरिकेटिंग से सील करवाकर पालना रिपोर्ट से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।
16. विकास अधिकारी पंचायत समिति, सगा/खण्डार को दी जाकर लेख है कि उक्त 0 मोबिलिटी क्षेत्र को बेरिकेटिंग से सील करवाकर पालना रिपोर्ट से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।
17. सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत को पालनार्थ।

उप जिला मजिस्ट्रेट
सवाईमाधोपुर

Scanned by CamScanner